न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नामः राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्याः 129/2008
निर्णय दिनांकः 05.04.2022

1. जगदीश पुत्र मोटा
2. लालाराम पुत्र मोटा
3. बाबूलाल पुत्र मोटा (मृतक दौराने वाद)

3/1. कमला देवी बाबूलाल
3/2. राजेश पुत्र बाबूलाल
3/3. महेन्द्र पुत्र बाबूलाल
समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम कोकावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3/4. आशा पुत्री बाबूलाल पत्नी सुरज्ञान मीणा
3/5. अनिता पुत्री बाबूलाल पत्नी सायर मीणा
3/6. सुगना देवी पुत्री बाबूलाल पत्नी सुमेश मीणा
समस्त जाति मीणा, निवासीगण आला का बास, जोबनेर, तहसील फूलेरा, जिला जयपुर।

4. लक्ष्मण पुत्र मोटा
5. गणपत पुत्र मोहरू
6. रूपनारायण पुत्र मोहरू
7. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीनारायण
8. श्रीमति कोकली पत्नी बद्रीनारायण

समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम कोकावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. मूर्ति श्री गोपाल जी भोमया जी स्थित ग्राम कोकावास, तहसील सांगानेर द्वारा पुजारी मालीराम पुत्र बंशी, जाति ब्राह्मम्ण, निवासी बस स्टैण्ड के पास, सांगानेर, जिला जयपुर।
2. मन्दिर श्री नरसिंह जी स्थित ग्राम कोकावास, तहसील सांगानेर द्वारा पुजारी पप्पू पुत्र बंशी, जाति ब्राह्मम्ण, निवासी बस स्टैण्ड के पास, सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

असल प्रतिवादीगण

4. हनुमान पुत्र कानाराम
5. ओंकार पुत्र कानाराम
6. मदन पुत्र कानाराम
7. सोदान पुत्र कानाराम

समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम कोकावास, सांगानेर, जिला जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:45 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत घोषणा व स्थाई
एव

वाद पत्र संख्याः 101/2009
निर्णय दिनांकः 05.04.2022

1. हनुमान पुत्र कानाराम
2. ओंकार पुत्र कानाराम

3. मदन पुत्र कानाराम
4. सोदान पुत्र कानाराम
समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम कोकावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
वादीगण

बनाम

1. मूर्ति श्री गोपाल जी भोमया जी स्थित ग्राम कोकावास, तहसील सांगानेर द्वारा पुजारी मालीराम पुत्र बंशी, जाति ब्राह्मण, निवासी बस स्टैण्ड के पास, सांगानेर, जिला जयपुर।
2. मन्दिर श्री नरसिंह जी स्थित ग्राम कोकावास, तहसील सांगानेर द्वारा पुजारी पप्पू पुत्र बंशी, जाति ब्राह्मण, निवासी बस स्टैण्ड के पास, सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

कन्टेस्टेड प्रतिवादीगण

5. जगदीश पुत्र मोटा
6. लालाराम पुत्र मोटा
7. बाबूलाल पुत्र मोटा (मृतक दौराने वाद)
3/1. कमला देवी बाबूलाल
3/2. राजेश पुत्र बाबूलाल
3/3. महेन्द्र पुत्र बाबूलाल
समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम कोकावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3/4. आशा पुत्री बाबूलाल पत्नी सुरज्ञान मीणा
3/5. अनिता पुत्री बाबूलाल पत्नी सायर मीणा
3/6. सुगना देवी पुत्री बाबूलाल पत्नी सुमेश मीणा
समस्त जाति मीणा, निवासीगण आला का बास, जोबनेर, तहसील फूलेरा, जिला जयपुर।
8. लक्ष्मण पुत्र मोटा
9. गणपत पुत्र मोहरू
10. रूपनारायण पुत्र मोहरू
11. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीनारायण
12. श्रीमति कोकली पत्नी बद्रीनारायण
समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम कोकावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रारूपिक प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ति व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

निर्णय

उक्त दोनों वाद एक ही विवादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों वाद पत्रों को दिनांक 31.12.2021 को एक साथ समेकित किये जाने के आदेश किये गये है इसलिए उक्त दोनों वाद पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। वादीगण ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि ग्राम कोकावास, तहसील सांगानेर भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 234 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 241 रकबा 2 बीघा 1[illegible] बिस्वा, खसरा नम्बर 243 व 244 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 246, 247 व 248 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 249 व 250 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 251 व 263 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 252 व 264 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:45 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
वीय
2022, 18:43

2 बीघा, खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 233/328 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 233/329 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 233/330 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 233/331 रकबा 5 बिस्वा, कुल किता 14 कुल रकबा 33 बीघा 3 बिस्वा का काबिज खातेदार काश्तकार सोहन पुत्र ज्वारा, कौम मीणा चौकीदार, साकिन कोकावास रहा और इसी प्रकार का इन्द्राज बन्दोबस्त संवत् 2015 के रिकॉर्ड ऑफ राइटस् में हुआ। सोहन का देहान्त हो गया है। उसके तीन लडके मोहरू, मोटा, काना हुए, और जमाबन्दी संवत् 2022 में उनका नाम बतौर खातेदार दर्ज हो गया। उक्त सोहन, कानाराम, मोटा का देहान्त हो चुका है। मोहरू के गणपत, रूपनारायण वादी संख्या 5 व 6, मोटा के वारिस जगदीश, लालाराम, बाबूलाल, लक्ष्मण वादी संख्या 1 लगायत 4 तथा बद्रीनारायण है। बद्रीनारायण का देहान्त हो चुका है। उसके पुत्र ओमप्रकाश व पत्नी श्रीमति कोकली वादी संख्या 7 व 8 है। कानाराम पुत्र सोहन का देहान्त हो चुका है, उसके वारिस उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 हनुमान, ओंकार, मदन व सोदान है। वाद खण्ड 1 में वर्णित भूमि में से भूमि गत खसरा नम्बर 244, 248, 235, 240 मन्दिर श्री गोपाल जी भौमिया मूर्ति नरसिंह जी के नाम दर्ज करने का आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने दौराने कार्यवाही बंदोबस्त अपने एकतरफा आदेश दिनांक 26.09.1986 द्वारा दिया। उसके पश्चात् जमाबन्दी में हाल खसरा नम्बर 489 रकबा 32 एयर, खसरा नम्बर 490 रकबा 73 एयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 8 एयर मन्दिर श्री गोपाल जी भौमिया जी के नाम तथा हाल खसरा नम्बर 486 रकबा 35 एयर, 487 रकबा 26 एयर मन्दिर नरसिंह जी के नाम इन्द्राज हो गया। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर के उक्त आदेश दिनांक 26.09.1986 के विरूद्ध मोहरू, जगदीश, लालाराम, बाबूलाल व बद्रीनारायण, लक्ष्मण ने राजस्व मण्डल में निगरानी क्रमांक एल.आर. 335/93/ जयपुर प्रस्तुत की। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 04.04.1997 के अनुसार सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 26.09.1986 को निरस्त कर दिया और प्रकरण को कलक्टर जयपुर (लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर) के यहां प्रतिप्रेषित कर दिया। इस आदेश की अनुपालना में वादीगण ने कलेक्टर के यहां प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया, जिसकी आज तक कोई सुनवाई नही हुई है और न ही राजस्व अभिलेख में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश की अनुपालना में जो इन्द्राज किया गया था वह निरस्त किया गया है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम उक्त इन्द्राज होने के कारण राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार व पटवारी मौके पर गए और हाल दिनांक 29.03.2008 के आसपास धमकी दी कि जमीन मन्दिर के नाम है इसे खाली कर दो। सुयोग्य कलेक्टर (लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर) जयपुर ने राजस्व मण्डल के आदेश के अनुसार वादीगण को सुनवाई का अवसर देकर कोई कार्यवाही नही की है। परिणामस्वरूप वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। वाद खण्ड 1 में वर्णित भूमि के साथ वादीगण हाल खसरा नम्बर 489, 490, 397, 486, 487 पर काबिज है। हाल खसरा नम्बर 489, 490, 397, 486, 487 ग्राम कोकावास, तहसील सांगानेर कभी भी प्रतिवा[illegible] 2 की माफी में नही रही है न ही यह भूमि किसी [illegible] ट की है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने जो आदेश दिनांक 26.09.1986 [illegible] है तथा उसके आधार पर जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया गया है वह [illegible] मिला अधिकार है और ऐसे आदेश चुनौती इस दावें के माध्यम से दी जा सकती है। यद्यपि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का आदेश दिनांक 26.09.1986 राजस्व मण्डल से निरस्त हो चुका है। मगर चूंकि जमाबन्दी में उनका नाम दर्ज है, इसलिए सरकार के प्रतिनिधि और मन्दिर के पुजारी आये दिन बेदखली की धमकी देते है। यदि वादीगण को उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:45 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी

भूमि से बेदखल कर दिया गया तो उन्हें अपूर्णनीय क्षति हो जायेगी और उक्त क्षति का मूल्यांकन नही हो सकेगा। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषित किया जावें कि वादीगण हाल खसरा नम्बर खसरा नम्बर 489, 490, 397, 486 व 487 ग्राम कोकावास, तहसील सांगानेर के खातेदार काश्तकार है, उक्त खातेदार घोषित किया जाकर इन्द्राज उनके नाम किया जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि वे वाद के निर्णय तक वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी कर तलब किया गया। दिनांक 23.03.2009 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जवाब हेतु अवसर दिया गया था जो कि उनकी ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया और प्रकरण में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 15.07.2009 प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 की ओर से श्री भगवान सहाय शर्मा एडवाकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 12.07.2011 को प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 की ओर से जवाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि मिन प्रतिवादीगण द्वारा मान्य न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि में हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु एक वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ति व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उनवानी हनुमान बनाम मूर्ति श्री गोपाल जी पेश किया है जो विचाराधीन है। शेष कथनों में वादीगण के तथ्यों को स्वीकार किया है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष अस्वीकार कर इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण को हिस्सा 2/3 तथा मिन प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 का हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 द्वारा एक वाद पत्र अलग से विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं वादीगण प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया गया। जिसे पृथक से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से बावजूद तामिल कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उक्त प्रकरणों में वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 द्वारा अपने वादोत्तर में वादीगण के वाद के तथ्यों को स्वीकार करते हुए वाद डिक्री करने का अनुतोष चाहा गया है इसलिए वाद में ऐसा कोई तथ्य मौजूद नही है जिसके कारण विवाद्यक बनाये जाते इस कारण उक्त दोनों प्रकरणें में विवाद्यक कायम नही किये गये। वादीगण द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 31.12.2022 को प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 की ओर एक प्रार्थना–पत्र उक्त दोनों दावों को समेकित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया [illegible] द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने में अनापत्ति जाहिर की। प्रतिवादी [illegible] 4 लगायत 7 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वाद पत्र क्रमांक [illegible] उनवानी हनुमान बनाम मूर्ति श्री गोपाल जी को वादी के वाद पत्र क्रमांक 12?/2008 उनवानी जगदीश बनाम मूर्ति श्री गोपाल जी व अन्य के साथ समेकित कर दिया गया। प्रकरण को साक्ष्य हेतु नियत किया गया। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य बंदोबस्त खतौनी संवत् 2015 प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक 13.01.1964 प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5, प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर दिनांक 04.04.1997 प्रदर्श–6 प्रस्तुत किये गये एवं वादीगण ने मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह लक्ष्मण, रूपनारायण व पांचू के बयान लेखबद्ध करवायें। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 की ओर से अपने वाद व वादोत्तर के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2062–65 प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2022–24 प्रदर्श–2, प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 प्रस्तुत किये गये एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 ने मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह हनुमान के बयान लेखबद्ध करवायें। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया। दिनांक 29.03.2022 को प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एवं वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को दौहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 डिक्री किया जावें एवं वादग्रस्त भूमि में वादीगण को 2/3 भाग का व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में वादीगण के वाद का समर्थन करते हुए, जवाब दावा में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादीगण को हिस्सा 2/3 तथा मिन प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 का हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित जावें।

हमने बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधि0 के प्रभाव में आने के समय वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 के हकपूर्वाधिकारी सोहन पुत्र ज्वारा वादग्रस्त भूमि पर ख़ातेदार काश्तकार अंकित था इसलिए तत्समय बने तैयार राजस्व रिकार्ड संवत् 2015–34 खतौनी बंदोबस्त में सोहन पुत्र ज्वारा खातेदार काश्तकार हो गया। यह तथ्य वादीगण ने प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 एवं मौखिक साक्ष्य से साबित होता है। सोहन पुत्र ज्वारा की मृत्यु के पश्चात् उसके स्थान पर उसके तीन पुत्रों मोटा, मोहरू व काना का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक 13.01.1964 को अंकित हो गया जिसको वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपने दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–3 व मौखिक साक्ष्य से साबित होता है। नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक 13.01.1964 के माध्यम से जमाबन्दी संवत् 2022 में सोहन पुत्र ज्वारा के स्थान पर उसके तीनों पुत्र मोटा, मोहरू व काना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया, यह तथ्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–4 व मौखिक साक्ष्य से साबित होता है। हाल बंदोबस्त के दौरान सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 26.09.1986 के माध्यम [illegible] भूमि खसरा नम्बर 489, 490, 397, 486 व 487 को प्रतिवादी संख्या [illegible] व [illegible] अंकित कर दिया, वादीगण द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व [illegible] अजमेर में निगरानी याचिका क्रमांक एल.आर./335/93/जयपुर प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 04.[illegible].1997 को सहायक भू प्रन्बध अधिकारी के निर्णय को निरस्त कर दिया और निर्णय का मुख्य आधार यह बताया कि भू प्रबन्धक विभाग को किसी की खातेदारी को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है जबकि भू प्रबन्धक विभाग पूर्व प्रचलित जमाबन्दी की प्रविष्टियों को ही पुनरावृति करने को बाध्य है, यह तथ्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:45 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(द्वितीय)

प्रदर्श–6 से साबित होता है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टान्त प्रस्तुत किये है 1982 RRD 317, 1982 RRD 342, 1998 RBJ 274, 2001 RBJ 170, 2001(1) RRT 244, 2004(1) RRT 96, 2008(1) RRT151, 2009(2) RRT 954, 2018(2) RRT 1030 जिसमें भी उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में यही विवेचना की गई कि बंदोबस्त विभाग बंदोबस्त कार्य से पूर्व भू अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात को यथावत् अंकित करने के लिए बाध्य है, वह खातेदारी अधिकार परिवर्तित नही कर सकता है। इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत वाद एवं वादोत्तर में किये गये तथ्यों को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित करने में सफल रहे है, ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 डिक्री किया जाकर ग्राम कोकावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 489, 490, 397, 486 व 487 में वादी संख्या 1 लगायत 4 व 7, 8 को 1/3 भाग का, वादी संख्या 5, 6 को 1/3 भाग का एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि वें वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

(राजेश कुमार मोदक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:45 IST
Reason: SelfAttested